न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 838/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुनील कुमार		1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर महोदय, पाली।
2. अनिल कुमार पि0 गोविन्द सिंह जातियान—माली, साकिन अटबड़ा, तहसील—सोजत, जिला—पाली (राज0)		2. सरकार जरिए तहसीलदार, सोजत जिला—पाली (राज0)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1. श्री सुरेन्द्र कुमार आशिया, अधिवक्ता वादीगण ।
2. तहसीलदार, सोजत (भूमिधारक) प्रति0 सं0 1 व 2 की ओर से ।

—: निर्णय :— दिनांक — 03.03.2021

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् बावत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है। वादीगण व उनके स्वर्गीय पिता के कब्जेकाश्त की भूमि सरहद मौजा—अटबड़ा तहसील—सोजत के पुराने ख0नं0 1490 एवं 1485 से मिलकर बने नया ख0नं0 1132/1453 रकबा 03 हैक्टर 20 एयर किस्म बा0दो0 की भूमि जो पड़त सरकार खाते में "अलावा जोत काबिल काश्त" दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी पर वादीगण व उनके पिता गोविन्दसिंह पुत्र खींवराज गहलोत माली सा0 अटबडा का कब्जा काश्त राज मारवाड़ के समय से लेकर आज दिन तक बदस्तूर शान्तिपूर्वक खुल्मखुल्ला चला आ रहा है। इसका ज्ञान राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी प्रतिवादीगण को है। प्रतिनिधी प्रतिवादीगण सरकार के नुमायन्दे है जिनके द्वारा व पटवारी हल्का द्वारा वादीगण व उनके स्वर्गीय पिता को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् लगातार प्रतिवर्ष नोटिसेज दिये जा रहे है जिन पर राजस्व अधिकारियों के हस्ताक्षर है। उनके स्वर्गीय पिता द्वारा इस भूमि पर कब्जा करने पर जुर्माना प्रति0 द्वारा अधिरोपित करने पर वादीगण के पिता द्वारा जुर्माना अदा किया जाता रहा है। धारा 91 के नोटिसेज व जुर्माने की रसीदें तथा खसरा परिवर्तनशील का राजस्व रेकर्ड मौजूद है। जिसमें मौजा अटबडा के नये ख0नं0 1132/4593 की 2 हैक्टर भूमि किस्म बारानी पर वादीगण व उनके स्वर्गीय पिता का कब्जाकाश्त राज0 मारवाड़ के समय से चला आ रहा है। जब राजस्थान सरकार द्वारा जागीरें जब्त की गई और राजस्थान काश्तकारी अधि0 प्रभाव में लगाया गया, तब उक्त वर्णित भूमि पर वादीगण एवं उनके स्वर्गीय पिता का कब्जा काश्त था और जिसका ज्ञान प्रति0 को होते हुए भी वादीगण व उनके पिता को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान था कि अधिनियम के लागू होते ही जिस काश्तकार का जिस ख0नं0 की भूमि पर कब्जा काश्त था, उसको उसी ख0नं0 का खातेदार घोषित कर उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जाता था। लेकिन वादीगण व उनके पिता के साथ ऐसा नही किया गया। इसी खसरे की भूमि में अन्य व्यक्तियों को भी खातेदारी अधिकार दिये गये है, जबकि वादीगण व उनके पिता को खातेदारी अधिकार नही देकर अन्याय किया गया है। प्रतिवादीगण को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया गया,

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

की प्रति साथ पेश की है तथा धारा 91 के नोटिसेज प्रति वर्ष दिये जाते रहने से तथा जुर्माना वसूल प्रतिवर्ष करने से बिनायदावा पैदा प्रतिवर्ष होता रहा है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वादमय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर पुराने ख0नं0 1490 व 1495 मौजा–अटबड़ा तहसील सोजत के नये ख0नं0 1132/4593 की भूमि में से 2 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी की भूमि के राजस्व रेकर्ड नाम दर्ज किये जाने, राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने तथा अन्य सहायता आदि दिलाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 सं0 1 की ओर से प्रति0सं0 2 तथा स्वयं की ओर से दिनॉक 19.12.2017 को अ0दा0 पेश किया कि प्रति0 सं0 2, 3 व 5 को कानूनी होना अंकित किया है। पद सं0 1, 4 व 6 के ज0दा0 में अंकित किया कि वादीगण उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, वादस्थ भूमि वर्तमान में राजकीय सिवाय चक सरकारी भूमि है। प्रति0सं0 2 ने राजस्थान भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 के तहत् वादीगण के विरूद्व कार्यवाही की जाकर जुर्माना आरोपित किया जाता है एवं बेदखली के आदेश जारी किये जाते है। वादीगण वादस्थ भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, राजकीय सिवायचक भूमि है, जिस पर वादीगण का अवैध अतिक्रमण है, जिससे वादस्थ भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण नहीं होने से वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

दिनॉक 04.04.2018 को पृथक से तनकीयात संख्या 1 से 7 कायम की जाकर विवेचित की गई, सामिल मिसल है।

दिनॉक 01.05.2018 को शहादत वादीगण pw-1 सुनीलकुमार, दिनॉक 16.05.2018 को pw-1 देवाराम, pw-2 राजेन्द्र सिंह, pw-5 बगदाराम, के तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पेश किए जिनकी प्रतिलिपि तहसीलदार, सोजत को दिलाई गई, सा0मि0 है। शहादत वादीगण pw-1 देवाराम, pw-2 राजेन्द्रसिंह के तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पर बयान कलमबद्व दिनांक 23.05.2018 को करवाये जाकर सामिल मिसल किये गये। शहादत वादीगण pw-7 तेजाराम का तस्दीकसुदा शपथ–पत्र दिनांक 30.05.2018 को पेश किया, सा0मि0 है। दिनॉक 21.01.2021 को pw -1 सुनील कुमार तथा pw-5 बगदाराम के तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पर मुख्य परीक्षण तथा जिरह पर बयान कलमबद्व करवाये गये, सा0मि0 है। अन्य शहादत वादीगण एवं शहादत प्रतिवादीगण पेश नही करना चाहने से शहादत वादीगण पेश कर बन्द की गई। तहसीलदार, सोजत से विवादस्थ भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का अटबड़ा से मौका रिपोर्ट दिनॉक 10.02.2012 को प्रस्तुत हुई, के अनुसार उक्त भूमि मौजा–अटबडा राजस्व रिकोर्डानुसार सिवाय चक राजस्थान सरकार ख0नं0 1321/4593 किस्म बा0दो0 दर्ज है। ग्राम अटबड़ा की ख0नं0 1132/4593 की चालू खसरा परिवर्तनशील (P-14) अनुसार रकबा 01 = 9800 है0 पर सुनील कुमार, अनिल कुमार पि0 गोविन्द सिंह कौम–माली द्वारा अतिक्रमण किया गया। जिसका तहसीलदार, सोजत के न्यायालय में एल0आर0 एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण पेश किया गया जिसका उनके द्वारा दिनॉक 06.10.2020 को निर्णित किया गया। मौके पर चारदीवारी की हुई है। इस वर्ष इनके द्वारा कोई काश्त नहीं की गई, मात्र कब्जा किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

जिसका जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा किया जा चुका है। उक्त भूमि बिलाड़ा से सोजत जाने के स्टेट हाइवे पर स्थित है, रिर्पोट पटवारी प्रस्तुत सामिल मिसल है।

बहस अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार, सोजत की सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि वादीगण व उनके पिता को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान था कि अधिनियम के लागू होते ही जिस काश्तकार का जिस ख0नं0 की भूमि पर कब्जा काश्त था, उसको उसी ख0नं0 का खातेदार घोषित कर उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जाता था। लेकिन वादीगण व उनके पिता के साथ ऐसा नही किया गया। इसी खसरे की भूमि में अन्य व्यक्तियों को भी खातेदारी अधिकार दिये गये है, जबकि वादीगण व उनके पिता को खातेदारी अधिकार नही देकर अन्याय किया गया है। प्रतिवादीगण को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया गया, की प्रति साथ पेश की है तथा धारा 91 के नोटिसेज प्रति वर्ष दिये जाते रहने से तथा जुर्माना वसूल प्रतिवर्ष करने से बिनायदावा पैदा प्रतिवर्ष होता रहा है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर पुराने ख0नं0 1490 व 1495 मौजा–अटबड़ा तहसील सोजत के नये ख0नं0 1132/4593 की भूमि में से 2 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी की भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किये जाने, राजस्व नक्शा में तरकीम किये जाने तथा अन्य सहायता आदि दिलाये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जवाब बहस में प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने व्यक्त किया वादीगण वादस्थ भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, राजकीय सिवायचक भूमि है, जिस पर वादीगण का अवैध अतिक्रमण है, जिससे वादस्थ भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण नहीं होने से वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद–पत्र मय शपथ–पत्र, ज0दा0 प्रति0 एवं दस्तावेजात, शहादत वादीगण द्वारा प्रस्तुत तस्दीकसुदा शपथ–पत्रादि मय मुख्य परीक्षण पर कलमबद्ध करवाये गये बयानादि pw-1 से pw-7 तथा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का–अटबड़ा दिनॉक 10.02.2021 का गहनता से अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः कायम की गई तनकियात का बाद विवेचना विश्लेषण निम्नांकित रूप से विनिश्चय किया जाता है:–

<u>तनकी संख्या 1:–</u> आया – वादी का कब्जा काश्त सेटलेमेंट के समय से ही आ रहा है। मौजा अटबड़ा में वर्तमान ख0नं0 1132/4593 रकबा 3 हैक्टर 20 एयर पर काबिज है। सेटलमेंट के भूल से वादी को खातेदार घोषित नही किया गया।

– जिम्मे वादीगण

वादी का उक्त विवादग्रस्त भूमि पर सैटलमेंट के समय से कब्जाकाश्त होने के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किये है। जिससे की यह प्रमाणित होता हो कि मौजा अटबड़ा के वर्तमान खसरा नम्बर 1132/4593 रकबा 4 हैक्टर 0.80 एयर पर काबिज है। सैटलमेन्ट की भूल से

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया, से सम्बद्ध प्रमाण में कोई दस्तावेज पेश नही किये है बल्कि राजस्थान भू0 राज0 अधि0 1956 की धारा 91 के तहत उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार सोजत के न्यायालय में अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज होकर जुर्माना आरोपित कर समय–समय पर वसूल की गई जुर्माना राशि की रशीदे पेश की गई है। उक्त भूमि जो गै0मु0 मगरा सिवायचक राजकीय भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने से बेदखली के आदेश भी तहसीलदार सोजत द्वारा दिये गये, जिससे सैटलेमेन्ट से लगातार कब्जाकाश्त प्रमाणित नही होता है। राज0भू0राज0 अधि0 / नियम के तहत भूमि आवंटन/नियमन योग्य भूमि पाये जाने पर पात्र व्यक्तियो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो के साथ सम्बधित राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा समस्त प्रमाणीकृत दस्तावेजात को संलग्न कर उपखण्ड / तहसील स्तरीय गठित आवंटन/नियमन सलाहकार समिति को मय अभिशंसा के साथ भिजवाये जाने पर आवंटन/नियमन किये जाने हेतू प्रेषित की जाती है। तत् पश्चात् प्रकरण प्रावधानानुरूप सही व विधि सम्वत् पाये जाने पर अध्यक्ष (उपखण्ड अधिकारी संबंधित) द्वारा उक्त कमिटी की राय/अभिशंसा के आधार पर आवंटन/नियमन कर खातेदारी दी जा सकती है। इस प्रकार बिना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के दस्तावेज अभाव में मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर अर्थात लगातार कब्जाकाश्त के तथ्य ठोस प्रमाणित नही होने की दशा में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर देने मात्र से हस्तगत प्रकरण की भूमि अतिक्रमण की सिवाय चक भूमि होने से खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता है। लिहाजा उक्त वाद खारिज योग्य है। तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादीगण विनिश्चित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2:–</u> आया – मौजा अटबड़ा के ख0नं0 1132/4593 रकबा 3 हैक्टर 20 एयर पर वर्तमान में कब्जा काश्त है। वादीगण को धारा 91 एल0आर0 एक्ट क तहत नोटिस दिया गया और जुर्माने की राशि भी जमा करवा रहा है।

– जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 1 में किये गये विवेचन/विश्लेषण अनुसार दस्तावेजात अनुसार वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त सैटलमेंट से लगातार होना बखूबी नही होता है। मात्र राजकीय सिवायचक विवादग्रस्त उक्त भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किये जाने पर राजस्व अधिकारी द्वारा वादीगण को 91 आर0 एल0 आर0 एक्ट0 1956 के तहत नोटिस दिया जाना तथा जुर्माना राशि आरोपित करने पर राशि जमा करावायी गई है। उक्त भूमि से धारा 91 के तहत प्रकरण के निस्तारण में प्रतिवर्ष बेदखल भी किया जाता रहा है।

<u>तनकी संख्या 3:–</u> आया – वादीगण के पिता एवं पूर्वजो से कब्जा काश्त इसी भूमि पर करता आ रहा है। पुराने कब्जे के आधार पर ख0नं0 1132/4593 रकबा 3 हैक्टर 20 एयर का खातेदार घोषित किया जावें।

– जिम्मे वादीगण

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

तनकी संख्या 1 व 2 में अंकित तथ्यो तथा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार ख0नं0 1132/4593 रकबा 3 है0 0.20 एयर की राजकीय सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है। जिसे प्रावधानानुरूप पुराने कब्जे का आधार नही माना जा सकता है फलतः तनकी संख्या 3 विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादीगण तय की गई है।

<u>तनकी संख्या 4:–</u> आया – वादीगण उक्त आराजी ख0नं0 1132/4593 रकबा 3 हैक्टर 20 एयर पर अतिक्रमणी की हैसियत से काबिज है। वर्तमान में उक्त आराजी को सिवाय चक दर्ज की गई है।

– जिम्मे प्रतिवादी

वादीगण आराजी खं0नं0 1132/4593 रकबा 03 है0 0.20 एयर पर तनकी संख्या 1 में वर्णित उक्त विश्लेषण एवं प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार बहैसियत अतिक्रमी काबिज होने से वर्तमान में उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी अनुसार सिवाय चक दर्ज होना प्रमाणित है। लिहाजा वादीगण उक्त आराजी ख0नं0 1132/4593 रकबा 3 हैक्टर 20 एयर पर अतिक्रमणी की हैसियत से काबिज है। वर्तमान में उक्त आराजी को सिवाय चक दर्ज की गई है। जिससे तनकी संख्या 4 स्वतः ही बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण ही तय/विनिशिचित हुई है।

<u>तनकी संख्या 5:–</u> आया – मौजा अटबड़ा में ख0नं0 1132/4593 रकबा 3 हैक्टर 20 एयर पर अवैध रूप से काबिज है। सेटलेमेंट के समय कब्जा काश्त होता तो खातेदार प्राप्त कर सकता है। खसरा परिवर्तनशील सेटलमेंट से पेश नही की गई है। वादीगण का खसरा परिवर्तनशील में काश्त दर्ज नही हे।

– जिम्मे प्रतिवादी

प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र साक्ष्य सबूतों के प्रस्तुत दस्तावेजात से स्वतः ही सिद्व है कि उक्त भूमि पर अवैध रूप से वादीगण काबिज है, जो खसरा परिवर्तनशील सैटलमेन्ट से पेश नही की है, न ही वादीगण का खसरा परिवर्तनशील में कब्जा काश्त दर्ज है। जिससे खातेदारी अधिकार वादीगण प्राप्त नही कर सकते है। तनकी 5 भी बहक प्रति0 विरूद्व वादीगण तय/विनिश्चित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 6:–</u> आया– अटबडा के खसरा नं0 1132/4593 रकबा 3 हैक्टर 20 एयर पर कब्जा काश्त नही होने से अतिक्रमी की हैसियत से दावा पेश किया गया है। वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा खारिज किया जावें।

– जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या 1 से 6 में दर्शित विवेचन/विश्लेषण के तथ्यों से प्रमाणित है कि मौजा अटबड़ा की ख0नं0 1132/4593 रकबा 03 = 0.20 एयर पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होने से अतिक्रमी की हैसियत से दावा पेश किया है। जिससे वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार बाद विश्लेषण तनकी संख्या 1 से 3 विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादीगण एवं तनकी संख्या 4 से 6 बहक प्रति0 विरूद्व वादीगण विनिश्चित की जाती है। फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए आर0टी0 एक्ट 1955 के प्रावधानों के विपरीत होने से सिवायचक खाते की अतिकमित भूमि होने से वादीगण के हक में घोषणा की डिकी जारी नहीं की जा सकती हे। फलतः वाद पोषणीय नहीं होने से सारहीन तथ्यहीन एवं औचित्यहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–आदेश–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषण के अनुसार अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए आर0टी0 एक्ट 1955 का प्रावधानों के विपरीत होने से अर्थात पोषणीय नही होने से वादीगण के हक में घोषणा की डिकी जारी नहीं की जा सकती हे। फलतः वाद सारहीन तथ्यहीन एवं औचित्यहीन होने से खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा पृथक से मुर्तिब होकर सामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनॉक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

बइजलाश श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

वादीगण — बनाम — **प्रतिवादीगण**

1. सुनील कुमार
2. अनिल कुमार पि0 गोविन्द सिंह जातियान–माली, साकिन अटबड़ा, तहसील–सोजत, जिला–पाली (राज0)

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर महोदय, पाली।
2. सरकार जरिए तहसीलदार, सोजत जिला–पाली (राज0)

राजस्व वाद संख्या :– 838/2017

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी सुरेन्द्र कुमार आशिया अधिवक्ता वादीगण एवं तहसीलदार सोजत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए आर0टी0 एक्ट 1955 का प्रावधानों के विपरीत होने से पोषणीय नही होने से वादीगण के हक में घोषणा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती हे। फलतः वाद सारहीन तथ्यहीन एवं औचित्यहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.03.2021 को जारी की गई।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned with CamScanner